शर्तें-

1. ठेकेदार/फर्म को टैन्डर की धरोहर राशि 25,000/-रुपये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, यमुनानगर के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आवेदन के साथ जमा करवानी होगी। जिसके बिना उसका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा।
2. सम्बन्धित ठेकेदार/एजेन्सी/फर्म/सोसासटी को अपना रजिस्ट्रेशन नं0, सर्विस टैक्स, पैन नं0, ई.एस. आई., ई.पी.एफ. नं0, लेबर लाईसैंस नं0, बैलंस सीट पिछले तीन वर्ष की (i.e 2017-18,2018-19,2019-2020) नियोजक का अनुभव प्रमाण पत्र व अन्य मूल दस्तावेजों की प्रति साथ लगाना अनिवार्य होगा तथा शपथपत्र देना होगा कि वह किसी भी सरकारी विभाग से ब्लैकलिस्ट ना हो। उपरोक्त मूल दस्तावेजों के बिना निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
3. आउटसोर्स पॉलिसी पार्ट-1 के तहत कर्मचारियों को वेतन उपायुक्त, यमुनानगर द्वारा वर्तमान में निर्धारित डी.सी. रेट के अनुसार से दिया जायेगा। फर्म को डी.सी.रेट के ऊपर सर्विस चार्जिस दिये जायेंगे। न्यूनतम सर्विस चार्ज वाली एजेन्सी/फर्म/सोसाईटी को समय-समय पर जारी की गई सरकार की हिदायतों के अनुसार कार्य दिया जायेगा।
4. किसी भी पद पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति की सेवाएं सन्तोषजनक ना होने की स्थिति में उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है।
5. उपरोक्त पदों की नियुक्ति के लिये किसी भी समय स्थिति अनुसार कर्मचारियों की सं0 में बढौतरी या कमी की जा सकती है।
6. इसके अतिरिक्त ठेकेदार को आउटसोर्स पॉलिसी के तहत सरकार द्वारा जारी की गई सभी हिदायतों को मानना अनिवार्य होगा।
7. ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारी की सेवाओं के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेवारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
8. फार्म में निर्धारित दस्तावेज तथा वित्तीय बोली(Bid) से सम्बन्धित दस्तावेज बन्द लिफाफे में अलग-अलग स्वीकार किये जायेंगे।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को बिना कोई कारण बताए टैन्डर रद्द करने का अधिकार होगा।
10. निविदा से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद के निपटान हेतू अध्यक्ष, जिला परिषद, यमुनानगर ऑरबीट्रेटर होंगे व उनका फैसला दोनों पक्षों को मान्य होगा।
11. सफल निविदाकर्ता प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व कर्मचारियों को वेतन अदायगी करके ई.पी.एफ. /ई.एस.आई. इत्यादि की रसीदें जिला परिषद, यमुनानगर के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।
12. कार्यकाल संतोषजनक पाए जाने पर सफल निविदाकर्ता का निर्धारित दर पर सेवाओं का कार्यकाल आगामी वर्ष तक के लिये बढाया जा सकता है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, यमुनानगर।